

## कर्नाटक HC ने कथिा झलकदार फैसला! पुशुतैनी जमीन पर फेला समान नाम वाला दावा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण जमीन विवाद में स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कसिमान उपनाम और नामका फायदा उठाकर कसिी कृषिभूमिपर दावा करना सम्भव नहीं है। इस मामले में चतितदुर्ग जलि के तीन भाइयों को विवादति जमीन का वैध स्वामतिव माना गया है।

यह मामला वास्तव में रोमांचक है क्योकथिह दिखाता है कि कैसेकानूनी दस्तावेजों की अनुपस्थितिमें भी हीकम कोर्ट न्यायप्रतामं से भरोसा करती है।

मामले का पृष्ठभूमि

>> विवादति जमीन पुैनी कृषिभूमिपर स्थति थी

>> बसप्पा ने दावा कथिा था कि वर्ष1946 मेंभूमिउसके पूर्वज गौड़ सन्नाबसप्पा को उनके पूर्वज डोड्डामल्लप्पा और सन्नामल्लप्पा ने बेच दी थी

>> हालांकिउसने कोई वैध बकिरी वलिख (सेल डीड) नहीं पेश कथिा

>> राजस्व रकिॉर्ड में ही उसके पूर्वजों के नाम का कोई स्पष्ट आधार नहीं मलिा

तीनों भाइयों का प्रतविाद

>> वे अपने प्रतषिठति परिवार की जमीन कभी बेची नहीं थी कहकर अपने बलिकुल से शुरू हुआ

>> पंजीकृत बंधक (मॉर्गेज) डीड, पुनर्सर्वे रकिॉर्ड और अन्य राजस्व दस्तावेज पेश कथिे

>> उन्होंने स्पष्ट कथिा करिाजशेखरप्पा नाम की प्रवषिटिावास्तव में परिवार के सदस्य जी. राजशेखरप्पा की थी

>> बसप्पा ने समान नाम का फायदा उठाकर1997 मेंअवैध तरीके से म्यूटेशन करा लथिा था

अदालत का फैसला

>> कर्नाटक हाई कोर्ट ने14 मई 2026 कोनचिली अदालत का फैसला पलट दथिा

>> तीनों भाइयों जी. थपिप्पेस्वामी, जी. वरुिाक्षप्पा और जी. राजशेखरप्पा को वैध संयुक्त मालकनि घोषति करना हुआ

>> बसप्पा को जमीन पर कब्जा करने में पूरी तरह से वफिल रहा

>> अदालत ने कहा कि केवल राजस्व रकिॉर्ड में नाम दर्ज होने से स्वामतिव सिद्ध नहीं होता

याचकिा की चाल

>> विवाद1997 मेंशुरू हुआ था जब बसप्पा ने म्यूटेशन कर लथिा

>> नचिली अदालत ने2005 मेंभाइयों की याचकिा खारजि कर दी थी

>> फरि उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख कयिा और सफलता हासलि कर ली

>> अंतमि फैसले की तारीख 14 मई 2026 को ही थी

नष्िकर्षमें कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला बता रहा है कि वास्तवकि मालकिों को ही उचति माना जाना चाहिए। जब तक कानूनी दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होगी, कोई भी जमीन दावा करने वाला स्वामतिव सदिध नहीं कर सकता।

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हाँ, जमीन की बकिरी को पूरा करने के लिए वैध बकिरी वलिख (सेल डीड) की आवश्यकता होती है। केवल दावे या राजस्व रकिॉर्ड में नाम दर्ज होने से पर्याप्त नहीं होता।

अदालत ने 1930 की पंजीकृत बंधक डीड, पुनर्सर्वे रकिॉर्ड और अन्य राजस्व दस्तावेजों पर वशिवास कयिा। ये दस्तावेज मूल मालकनि की नशिानी थे।

वविाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने वाकई ऐसे मामलों की नगिरानी करते हुए 29 वर्षों की मौजूदा पुष्टिके साथ ही नपिटाया।